बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

<u>दिनांक–18.12.2017 को माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में सभी जिलों के अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के साथ आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–</u>

1. उपस्थिति यथा संलग्न

2. **<u>माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग का संबोधन</u>**

माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बैठक में उपस्थिति सभी पदाधिकँारियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि आपदा प्रबंधन का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल एवं पारदर्शी तरीके से राहत एवं सहायता पहूँचाने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। अतः आपदा सें प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहूँचाने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे संवेदनशील एवं तत्परता पूर्वक अपने दायित्वों का निवर्हन करें। साथ ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएँ भी दी गई।

3. **<u>जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC) हेतु भेजे गए आवंटन के विरूद्ध व्यय के स्थिति की समीक्षा</u>** –

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों (DEOCs) के सुदृढ़ीकरण हेतु सभी जिलों को आवश्यक सामग्री/उपस्कर क्रय करने लिए 10–10 लाख रूपया आवंटित किया गया है। आवंटित राशि के विरूद्ध अबतक किये गये कार्रवाई के संबंध में जिलावार समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस मद में सहरसा जिले में 7.40 लाख रूपये का व्यय हुआ है, जबकि सारण जिले में 3.50 लाख रूपये का व्यय हुआ है। शेष जिलों में सामग्री/उपस्कर क्रय करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से राज्य एवं जिलास्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्रों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। मजबूत सूचना तंत्र एवं नई तकनीक का प्रयोग कर आपदाओं के कुप्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपदाओं के समय वे प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सकें। इसी उद्देश्य से आपातकालीन संचालन केन्द्रों को आवश्यक सामग्रियों/उपष्करों से सुसज्जित करने हेतु सभी जिलों को 10–10 लाख रूपये का आवंटन एवं क्रय किये जाने वाले सामग्रियों/उपष्करों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। परन्तु लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अधिकांश जिलों में राशि व्यय की स्थिति शून्य है, जो काफी खेदजनक है।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के लिए आवश्यक सामग्रियों/उपष्करों का क्रय कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

4. <u>सरकारी देशी नावों के क्रय तथा भौतिक सत्यापन की स्थिति की समीक्षा –</u>

जिलों में उपलब्ध सरकारी देशी नावों के क्रय की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि अब आपदा प्रबंधन विभाग के तहत् जिला स्तर पर नई देशी नावों का क्रय/निर्माण कार्य नही किया जाएगा। जहाँ तक जिलों के द्वारा पूर्व में क्रय किये गये देशी नावों के बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया है कि जिलों में पूर्व से उपलब्ध सरकारी देशी नावों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा Random Verification के पश्चात ही पूर्व में क्रय किये गये नावों के बकाया राशि के भुगतान हेतु राशि आवंटित किया जायेगा। इस संबंध में सभी बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक–3667/आ0प्र0 दिनांक–13.12.2017 द्वारा निदेश भी दिया जा चुका है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग द्वारा देशी नावों के भौतिक सत्यापन के संबंध में मांगे गये प्रतिवेदन के आलोक में मात्र खगड़िया, पश्चिम चम्पारण, सुपौल, नालन्दा, अरवल, वैशाली, किशनगंज, अररिया, सहरसा, कटिहार, बक्सर, सिवान एवं भोजपुर से प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। किशनगंज एवं अररिया जिला से प्राप्त प्रतिवेदन में नाव का आकार इत्यादि अंकित नहीं है।

किशनगंज एवं अररिया जिला को निदेशित किया गया कि वे विभाग द्वारा भेजे गए प्रपत्र में पुनः भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन भेजेगें। साथ ही शेष जिलों को भी शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेशित किया गया।

5. <u>जिलों में अवशेष पॉलीथीन शीट्स की स्थिति एवं पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता की समीक्षा</u> –

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि आपदा के दौरान आपदा पीड़ितों को विभाग की ओर से पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु विगत वर्षो के बाढ़ के दौरान यह पाया गया कि जिलों में प्रर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन शीट्स भंडारित नही रहने के कारण दूसरे जिलों से पॉलीथीन शीट्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिला स्तर पर कई कारणों से पॉलीथीन शीट्स का क्रय नहीं हो पाता है, यथाः–कम मात्रा में पॉलीथीन शीट्स की निविदा होने से निविदा दाताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया जाता है। अतएव विभागीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रमंडल मुख्यालय के जिलों द्वारा प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों के आवश्यकता/अधियाचना के आलोक में नियामानुसार पॉलीथीन शीट्स का क्रय किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय दिशा–निर्देश से सभी जिलों को शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा।

प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि जिलों में उपलब्ध पॉलीथीन शीट्स सहित अन्य सामग्रियों की उपलब्धता की जानकारी विभाग के ऑन लाईन रिपोटिंग पोर्टल पर अद्यतन कर दिया जाय।

6. <u>बाढ़ 2017 का अंतिम प्रतिवेदन भेजे जाने की स्थिति की समीक्षा –</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2017 में बाढ़ से हुई क्षति एवं किये गये साहाय्य कार्यो का अंतिम (प्रतिवेदन प्रपत्र–IX में) मात्र पटना, नालन्दा एवं मधुबनी जिले से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से यह अप्राप्त है।

वर्ष 2017 में बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों को निदेश दिया गया कि बाढ़ से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध करा दें।

7. <u>ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गई राशि के लंबित डी0सी0 विपत्रों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा –</u>

ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गई राशि के विरूद्ध लंबित डी0सी0 विपत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न जिलों में डी0सी विपत्र की राशि लंबित है। इन जिलों के पदाधिकारियों को लंबित डी0सी0 विपत्रों की समायोजन हेतु विभागीय सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा पदाधिकारी से समन्वय कर शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अन्दर ए0सी0 विपत्रों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय, अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी।

8. <u>पूर्व वर्षो में विभाग द्वारा जिलों को आवंटित राशि के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा –</u>

जिलों को पूर्व वर्षो में विभाग द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिसमें पाया गया कि औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, गया, मधेपुरा, गोपालगंज, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, नालन्दा, रोहतास, अरवल, शिवहर, सीतामढ़ी, खगड़िया, किशनगंज एवं बक्सर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है अथवा त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। सभी जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है।

9. <u>विविध</u> –

(i) वर्ष 2017 में आए बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए प्रभावित कृषकों को कृषि इन्पुट अनुदान वितरण हेतु संबंधित जिलों को राशि आवंटित की गई है।

*प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि दिनांक–26.12.2017 के पूर्व लाभूकों के खाते में **RTGS** के माध्यम से कृषि इनपुट अनुदान की राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाय।*

(ii) प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित कतिपय जिलों से ये शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ लाभुकों के खातों में अभी तक GR मद की राशि का अंतरण संबंधित बैंकों के द्वारा नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी पदाधिकारी वापस जाकर इसकी समीक्षा कर ऐसी शिकायतों का निपटारा शीघ्र कर लें।

(iii) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, पूर्णियाँ एवं भागलपुर के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आये बाढ़ के पूर्व इन जिलों में पॉलीथीन शीट्स का क्रय किया गया था, परन्तु आवंटन के अभाव में आपूर्त्तिकर्त्ता को अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।

प्रभारी पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा यह भी बताया गया कि इस वर्ष बाढ़ के दौरान सूखा राशन (Dry Ration) हेतु चूड़ा का क्रय कर अन्य जिलों को उपलब्ध कराया गया है, इस हेतु भी आवंटन की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि पूर्णियाँ एवं भागलपुर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में शीघ्र राशि आवंटित की जाय। जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निदेशित किया गया कि क्रय किये गए चूड़ा (सूखा राशन) हेतु जनसंख्या निष्क्रमण से व्यय किया जाय एवं राशि उपलब्ध नहीं होने पर विभाग से अधियाचना की जाय।

(iv) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, खगड़िया के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में छठ पूजा के दौरान डूबने से हुई मृत्यु के लिए स्थानीय प्रकृति की आपदा के तहत् अनुग्रह अनुदान देय होगा या नहीं, इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में शीघ्र मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(v) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अररिया द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आए बाढ़ से हुई गृहक्षति के लिए विभाग से अधियाचना की गई है जो अभी तक अप्राप्त है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अररिया जिला से प्राप्त अधियाचना के आलोक में शीघ्र आवंटन उपलब्ध करा दिया जाय।

(vi) प्रभारी पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आए बाढ़ के कारण लगभग 4400 अतिरिक्त परिवारों को GR भुगतान हेतु विभाग से आवंटन की मांग की गई है, जो अबतक प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में जिला पदाधिकारी, सारण को पुनः इसकी समीक्षा कर अधियाचना करने का निदेश दिया गया।

(vii) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अरवल के द्वारा बताया गया कि महाजाल के क्रय हेतु विभाग से आवंटन की मांग की गई है जो अबतक प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अरवल जिला से प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि आवंटित की जाय।

(viii) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, बक्सर, खगड़िया, नवादा, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, सहरसा एवं मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि स्थानीक प्रकृति की आपदाओं के दौरान मृत लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु विभाग से आवंटन की मांग की है। आवंटन की अभाव में अभी तक अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अन्दर संबंधित जिलों को राशि आवंटित की जाय।

(ix) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कैमूर (भभुआ) के द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा मात्र बाढ़ प्रवण जिलों में ही वेयर हाउस (गोदाम) का निर्माण कराया गया है जबकि गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी इसकी आवश्यकता है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। प्रधान सचिव द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रवण जिलों में निर्मित कराए गए वेयर हाउस (गोदाम) का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एक सप्ताह अन्दर विभाग को फोटोग्राफ सहित भेजा जाए, इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जाएगी।

(x) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, सहरसा के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016 में आए बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति के लिए लाभुको के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण हेतु 15.49 करोड़ रूपया की अधियाचना विभाग से की गई थी, परन्तु विभाग द्वारा मात्र 3.00 करोड़ रूपया ही उपलब्ध कराया गया है शेष राशि की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण /व्यय प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् शेष राशि आवंटित करने पर विचार किया जाएगा।

(xi) जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों (DEOC) के सुदृढ़ीकरण के क्रम में विभागीय पत्रांक–1982/आ0प्र0 दिनांक–10.07.2017 द्वारा जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के 24X7 पैटर्न पर संचालन हेतु मानव संसाधन (तीन कम्प्यूटर प्रोग्रामर, तीन डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं तीन आई०टी० ब्यॉय) की व्यवस्था आउटसोर्सिग के आधार पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से करने का निदेश दिया गया है। बेल्ट्रॉन से प्राप्त सूचना के अनुसार अबतक सीतामढ़ी, किशनगंज, भागलपुर, सारण, जमुई, पूर्णियाँ, अरवल, नालन्दा, सहरसा, नवादा, पटना, बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर, गया एवं गोपालगंज जिले में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा सीतामढ़ी, किशनगंज, सारण, अरवल, नालन्दा, नवादा, पटना, गया, गोपालगंज, जहानाबाद एवं कटिहार जिले में आई०टी० ब्यॉय/गर्ल्स के प्रतिनियुक्ति की सूचना प्राप्त हुई है। शेष जिलों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल्स की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, तथा अबतक किसी भी जिले में कम्प्यूटर प्रोग्रामर की प्रतिनियुक्ति नही की गई है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि विभागीय निदेश के अनुरूप सभी जिले बेल्ट्रॉन से समन्वय/सम्पर्क स्थापित कर जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के लिए आउट सोर्सिग के आधार पर मानव संसाधन की प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें। साथ ही बेल्ट्रॉन द्वारा किसी भी जिले में कम्प्यूटर प्रोग्रामर की प्रतिनियुक्ति नहीं करने के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में विभाग के स्तर से भी बेल्ट्रॉन से पत्राचार किया जाय।

(xii) प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों में मोटरबोट खराब है वे समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 से अधियाचना कर मोटरबोट को ठीक करा लें।

प्रधान सचिव द्वारा उप समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 को जिलों से खराब मोटरबोटों को प्राप्त कर ठीक कराने का निदेश दिया गया है।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 52 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 5/1/18

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन)/समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(अनिरुद्ध कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 52 / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 5/1/18

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 52 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 5/1/18

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव